कृषकों को भू-अर्जन/ क्रय के फलस्वरूप दी जाने वाली सुविधायें

- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश करार (सहमति के आधार पर प्रतिकर निर्धारण एवं अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 को अंगीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत भू-स्वामी की पूर्ण सहमति के उपरांत करार के आधार पर भूमि अर्जन किया जाता है।
- भू-अर्जन के उपरांत करार के आधार पर दिये गये प्रतिकर के अलावा निम्नलिखित सुविधाएँ भी प्राधिकरण द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है -

  क. अर्जित भूमि पर उपलब्ध परिसम्पत्तियों यथा पेड, बोरिंग, नलकूप, निर्माण आदि के सापेक्ष मूल्यांकन धनराशि का भुगतान भी पृथक से किया जाता है।

  ख. अर्जित क्षेत्रफल के 07 प्रतिशत के समतुल्य विकसित क्षेत्रफल भावी आबादी हेतु आवंटित किया जाता है, जिसके 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर मिश्रित (वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि) भू-उपयोग अनुमन्य किया गया है।

  ग. प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड / वाणिज्यिक (क्योस्क व दुकान) योजनाओं में अर्जित भूमि के कृषकों को 17.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

  घ. प्राधिकरण की संस्थागत योजना के अंतर्गत स्कूल/कॉलेज/ संस्थाओं में प्राधिकरण क्षेत्र भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों या उनके आश्रितों के बच्चों एवं प्राधिकरण में कार्यरत कर्मियों के बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है।

  ड. यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के अंतर्गत भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों या उसके आश्रितों को यमुना प्राधिकरण द्वारा आबंटित औद्योगिक ईकाइयों/ संस्थानों में योग्यता के आधार पर नौकरी में वरीयता दी जाती है।

  च. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के समस्त लाभ संबंधित कृषकों को प्रदान किये जाते हैं जिसमें अर्जित भूमि के सापेक्ष वर्तमान में 23,000 रूपये प्रति एकड प्रति वर्ष (प्रत्येक वर्ष 800 रूपये की वृद्धि सहित) की दर से 33 वर्ष तक अथवा एकमुश्त लिये जाने की दशा में 2,76,000 (दिनांक 03.09.2010 से 02.06.2011 तक अर्जित भूमि के सापेक्ष 240000 प्रति एकड तथा दिनांक 02.06.2011 के बाद अर्जित भूमि के सापेक्ष 276000 प्रति एकड) रूपये प्रति एकड की दर से वार्षिकी (Annuity) का भुगतान किया जाता है।

- यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जिन ग्रामों में भूमि अर्जन किया जाता है उस ग्राम में अपने व्यय पर ग्राम विकास कार्य यथा नाली, खडन्जे, सीवर, सी0सी0 रोड, बारात घर, किसान भवन, शिक्षा संस्थान आदि का कार्य कराया जाता है।